

कार्यालय कलेक्टर एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जिला खण्डवा

नस्ती कं 133/ एलए./2017 11796
भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक- 06/अ-82/17-18

खण्डवा, दिनांक 24/07/2018

// शुद्धि पत्र - धारा 19 उद्घोषणा //

.....0000.....

भाम मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु ग्राम सेमल्या तहसील खण्डवा जिला खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-06/अ-82/17-18 में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उद्घोषणा का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग-1 में दिनांक 20.04.2018 को, स्वेदश समाचार में दिनांक 12.04.2018 को, दैनिक भास्कर में दिनांक 12.04.2018 को एवं आम इशतहार दिनांक 23.04.2018 को हुआ। डी.एम की वेबसाईट पर अपलोडिंग दिनांक 6.4.2018 को किया गया। उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे। जी नं 11452/18

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि		सही संशोधित प्रविष्टि	
खसरा नंबर	रक बा हे. में	खसरा नंबर	रक बा हे. में
-	-	166/1	0.70
-	-	166/2	0.84
261/1	0.22	261/1/2	0.06
-	-	261/1/3	0.08
-	-	261/1/4	0.08
161	5.94	161/1	4.94
-	-	161/2	1.00

उक्त उद्घोषणा प्रकाशन में कुल अर्जनीय रकबा 173.68 हे. के स्थान पर 175.22 हैक्टर पढ़ा जावे।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विशेष गढ़पाले)

कलेक्टर एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग
जिला- खण्डवा